

नहेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह सांखला जाति जैन निवासी ब्यावर जिला अजमेर जरिए
मुख्यार आम श्री दीपक सांखला पुत्र श्री सुरेन्द्रसिंह सांखला जाति जैन निवासी
रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान

राजस्थान सरकार जरिये भूधारक एवं लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला-अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संशोधित
अधिनियम 2010

आदेश

दिनांक 20.12.2017

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ हाल तहसील बिजयनगर के खसरा संख्या 1347 रकबा 03-03-00 किस्म बा.3 प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात है जिस पर मालिक स्वामी कब्जा चला आ रहा है। इस खसरा नम्बर पर आवागमन हेतु रास्ता खसरा नम्बर 1348 पर होकर जाया जाता है जबकि उक्त खसरा संख्या 1348 की भूमियां राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया किन्तु निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कारण दिन प्रतिदिन उत्पन्न होता चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 1348 की भूमि में से प्रार्थी विधि अनुसार रास्ता प्राप्त करने को सहमत तत्पर व तैयार है तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग अधिकार, सुखाधिकार ना तो विद्यमान है और ना ही होना संभावित है तथा प्रार्थी राजकीय दरों से भुगतान हेतु सहमत है। इस खसरा नम्बर में रास्ते की तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थी के पक्ष में रास्ते की अमल दरामद कराई जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिए नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब रिपोर्ट में कथन किए हैं कि खातेदारी ख.नं. 1347 से मुख्य सड़क पहुंचने हेतु बीच में खसरा नम्बर 1348 आता है जो सिवायचक खाते में दर्ज है जिसका रकबा 00-13-00 किस्म गै.मु. चट्टान दर्ज है जिसमें से 00-05-00 भूमि रास्ते में खसरा नम्बर 1347 में पहुंचने के लिए उपभोग में आयेगी जिसका उल्लेख नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 1347 व 1348 ब्यावर से बिजयनगर मार्ग पर स्थित है जिसकी डी.एल.सी. दर 45000 प्रतिबीघा है। उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1348 में 00-05-00 बिस्वा भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामगढ प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

प्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि मौजा रामगढ पटवार हल्का रामगढ हाल तहसील बिजयनगर के खसरा संख्या 1347 रकबा 03-03-00 किस्म बा.3 प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात है तथा खसरा संख्या 1348 रकबा 00-13-00 किस्म गै.मु.चट्टान पहाडिया तथा पर्वत (चरागाह हेतु) राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। चूंकि उक्त वांछित रास्ता सरकारी भूमि (चरागाह हेतु) से चाहा गया है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आवंटित किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)

आर0ए0एस0

राजस्थान अधिकाारी

